संख्या-966/2026/2172/22-2-2025-17(1120)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 17 जुलाई, 2026*

विषय:- जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बलवन्त लोध पुत्र श्री रामसजीवन, निवासी-जनपद-फतेहपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-39076/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-29.09.2025, दिनांक 13.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बलवन्त लोध पुत्र श्री रामसजीवन, जैतपुर मजरे शाह, थाना-गाजीपुर, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 08.08.1989 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व डण्डा से मारकर वीरेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र तिवारी, कमल सिंह व अनिल शुक्ल को घायल कर दिया, जिसमें वीरेन्द्र तिवारी की चोटों के कारण उसी दिन पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-697/2007 में भा0द0वि0 की धारा-323/149, 304/149, 147 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-08, फतेहपुर के दण्डादेश दिनांक 31.05.2010 द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.05.2019 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 11.09.2019 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 12.09.2025 तक अपरिहार 06 वर्ष, 04 माह, 14 दिन तथा 07 वर्ष, 04 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 12.09.2025 तक बन्दी की 55 वर्ष, 02 माह की आयु एवं मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त 10 वर्ष के सश्रम कारावास के सापेक्ष दिनांक 12.09.2025 तक अपरिहार 06 वर्ष, 04 माह 14 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 04 माह, 20 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बलवन्त लोध (बन्दी संख्या-500/2019) पुत्र श्री रामसजीवन, निवासी जनपद-फतेहपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-966/2026/2172(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।